FD

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम न. 2021/408
मुकदमा नम्बर 133/2021

दायर दिनांक–03.09.2021

संग्राम सिह पुत्र कल्याण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू हाल आबाद नीमजोड तन नवलडी तहसील नवलगढ़

.... वादी

1. जितेन्द्रसिह पुत्र कल्याणसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम परसरामपुरा तह. नवलगढ जिला झुझुंनू हाल आबाद जगदम्बा कालोनी शरद अस्पताल के पास ,पिपराली चौराहा, सीकर तहसील व जिला सीकर
2. विरेन्द्रसिह पुत्र कल्याणसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू हाल आबाद जगदम्बा कालोनी शरद अस्पताल के पास ,पिपराली चोराहा ,सीकर तहसील व जिला सीकर
3. महेन्द्रसिह पुत्र कल्याणसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंन हाल आबाद प्लाट नं. 3 अल्पना कालोनी कल्याण मार्ग खातीपुरा रोड ,झोटवाडा जयपुर
4. प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा घूमचक्कर नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू
6. बरजी देवी पत्नी मूलचन्द
7. बिमला देवी पत्नी सुरेन्द्र
8. अंजू देवी पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी कालीरावणा की ढाणी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

.... प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा

प्रतिनिधत्वः–

वकील वादी– श्री विप्लव पण्डित,
वकील प्रतिवादी 1 लगा. 2– श्री दिपेन्द्र सिह
वकील प्रतिवादी सं. 3– श्री विजेन्द्र सिह जाखड
वकील प्रतिवादी सं. 4– एक पक्षीय
प्रतिवादी सं. 5 – पैरो. राज.
वकील प्रतिवादी सं. 6 लगा. 8 – श्री राजेश कुमार

–:निर्णयः–

निर्णय दिनांक 13.05.2024

वाद वादी दिनांक 08/06/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एंव मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./23/128 दिनाक 12/01/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुंझुनूं)

Scanned with CamScanner

गई। विभाजन प्रस्ताव प्रकाशित होने से बाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ सदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
(जिला–झुंझुनूं)

Scanned with CamScanner

23/2/24

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ

दिनांक 12/01/2024

क्रमांक/भू.अ./2023/128

प्रेषित :-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ

विषय :- मु.नं. 133/21 बउनवानी संग्रामसिंह बनाम जितेन्द्र वगैरा

प्रसग :-श्रीमानजी का पत्रांक/राजस्व/23/ .... दिनांक ——————

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मु.नं. 133/21 निर्णय दिनांक .... बउनवानी ... संग्राम सिंह .... बनाम जितेन्द्र वगैरा .... में मुताबिक आदेश खाता विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने तैयार करवाकर संलग्न सेवामें सादर प्रेषित है।

सलंग्न–उक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.)

तहसीलदार(भू.अ.) नवलगढ

.24

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

.......................(नाम) तहसीलदार..............., न्यायालय सहायक उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के आदेश क्रमांक एसडीएम/विभाजन प्रस्ताव/23/386 दि. 21-2-23 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिनांक 24/2/23 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर-............. ग्राम नवलड़ी पटवार हल्का नवलड़ी...... पर श्री .... तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़..... में विचाराधीन संख्या-133/2021 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके निम्न पक्षकार उपस्थित थे :- संग्राम सिंह बनाम जितेन्द्र वगैरह

नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
संग्राम सिंह	पुत्र कल्याण सिंह		जाति राजपूत	
महेन्द्र सिंह	पुत्र कल्याण सिंह		जाति राजपूत	
मन्जू देवी	पत्नि विद्याधर		जाति जाट	
सरजी देवी	पत्नि मूलचन्द		जाति जाट	
बिमला देवी	पत्नि सुरेन्द्र		जाति जाट	

संग्रामसिंह
— h.रे.हि. -

मौके पर उपस्थित

उपरोक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

पटवारी-नवलड़ी

भू.अ.नि. नवलड़ी
13/12/23

(4)..

(2)..

Scanned with CamScanner

फर्द मौका प्राथमिक डिक्री

— x —

आज दिनांक 13.12.23 को श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के प्र.नं. 133/2021 संग्राम सिंह बनाम जितेन्द्र सिंह मे विभाजन प्रस्ताव /23/386 दि. 21-7-2023 एवम श्रीमान तहसीलदार साहब नवलगढ़ के आदेश क्रमांक रा.प./1470 दिनांक 31-7-2023 की पालना मे ग्राम नवलडी के ख.नं. 765, 766, 767, 769, 770, 783 किता 6 कुल रकबा 14.37 हैक्टर व ग्राम बड़वासी के ख.नं. 126 रकबा 0.34 है० व नवलडी ख.नं. 768 रकबा 0.14 हैक्टर के मौके पर पहुंचे। रिकॉर्ड व मौके पर काबिज काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम खातेदार कृषक	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
1.	संग्रामसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपूत सा. परसरामपुरा खातेदार रहिन राज.भू.वि. बैंक शाखा झुंझुनूं नवलगढ़ ग्रहीता	767	0.02	बा. II		
		768	0.14	बा. II		
		769/1	0.1602	बा. III		
		770/1	0.0883	बा. III		
		766/3	4.03	बा. II		
	किता	5	4.4385	बा. II बा. III		
2.	महेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपूत सा. परसरामपुरा खातेदार	765	0.02	बा. II		
		766/2	3.46	बा. I 0.32 बा. II 3.14		
		769/3	0.0293	बा. III		
		770/2	0.0917	बा. III		
	राजस्व ग्राम बड़वासी →	126	0.34	बा. I 0.40 बा. III 0.14		
	किता	5	3.9410	बा. I बा. II बा. III		
3.	अन्जु देवी पत्नी विद्याधर हि. 75/638 जाति जाट नि. कालीरावणा की ढाणी सरजी देवी पत्नी झाबरमल हि. 432/638 जाति जाट नि. कालीरावणा की ढाणी विमला देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह हि. 133/638 जाति जाट नि. कालीरावणा की ढाणी खातेदार	761/1	0.86	बा. I		
		783	5.52	बा. I 1.16 बा. II 4.36		
	किता	2	6.38	बा. I 2.02 बा. II 4.36		

संग्रामसिंह

(हस्ताक्षर) 13/12/23 पटवारी - नवलडी

(हस्ताक्षर) LR नवलडी 13/12/23

(हस्ताक्षर) तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़

P.T.O.

P.T.O. क्रमशः (2) आवासीय प्रकरण मु.नं० 133/2021

नाम जोतदार कृषक	खा.नं०	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
~~संग्राम सिंह महेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह हि.का हि. जाति राजपूत परम्परागत/ जोतदार~~	769/2	0.0305	का.III		
	किता 1	0.0305	का. III		
उन-कुंडेश्वी पत्नी विद्याधर हि. 1/9 जाति-जाट बरजी देवी पत्नी फूलचन्द हि. 1/9 जाति-जाट विमला देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह हि. 1/9 जाति-जाट निवासी काली रायणा की ढाणी संग्राम सिंह महेन्द्र सिंह पिता कल्याणसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत परम्परागत/ जोतदार	766/4	0.06	का.I		रास्ता
	किता 1	0.06	का.I		

सीमाज्ञान उपरान्त जारी विभाजन आदेश पालना में मौके पर कब्जे के अनुसार तैयार कर उपस्थित जोतदार के हस्ताक्षर करवाये गये अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में पेश है

हस्ताक्षर
पटवारी-नवलड़ी

हस्ताक्षर
भू.अ.नि. नवलड़ी
13/12/23

हस्ताक्षर
तहसीलदार (भू.अ.)
नावलगढ़

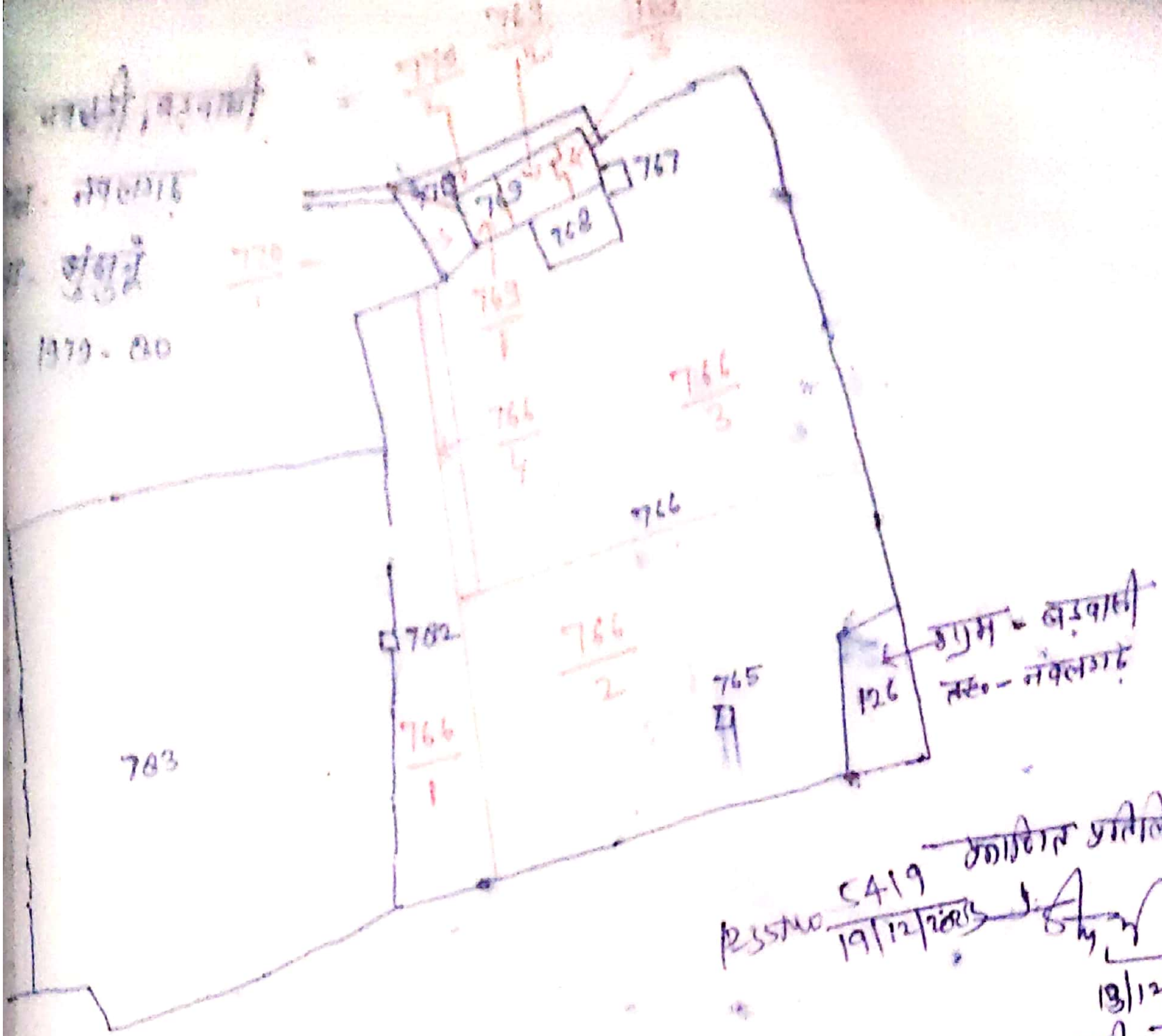

प्रमाणित प्रतिलिपि

5419
19/12/2023

13/12/2023
पटवारी - बड़वासी

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

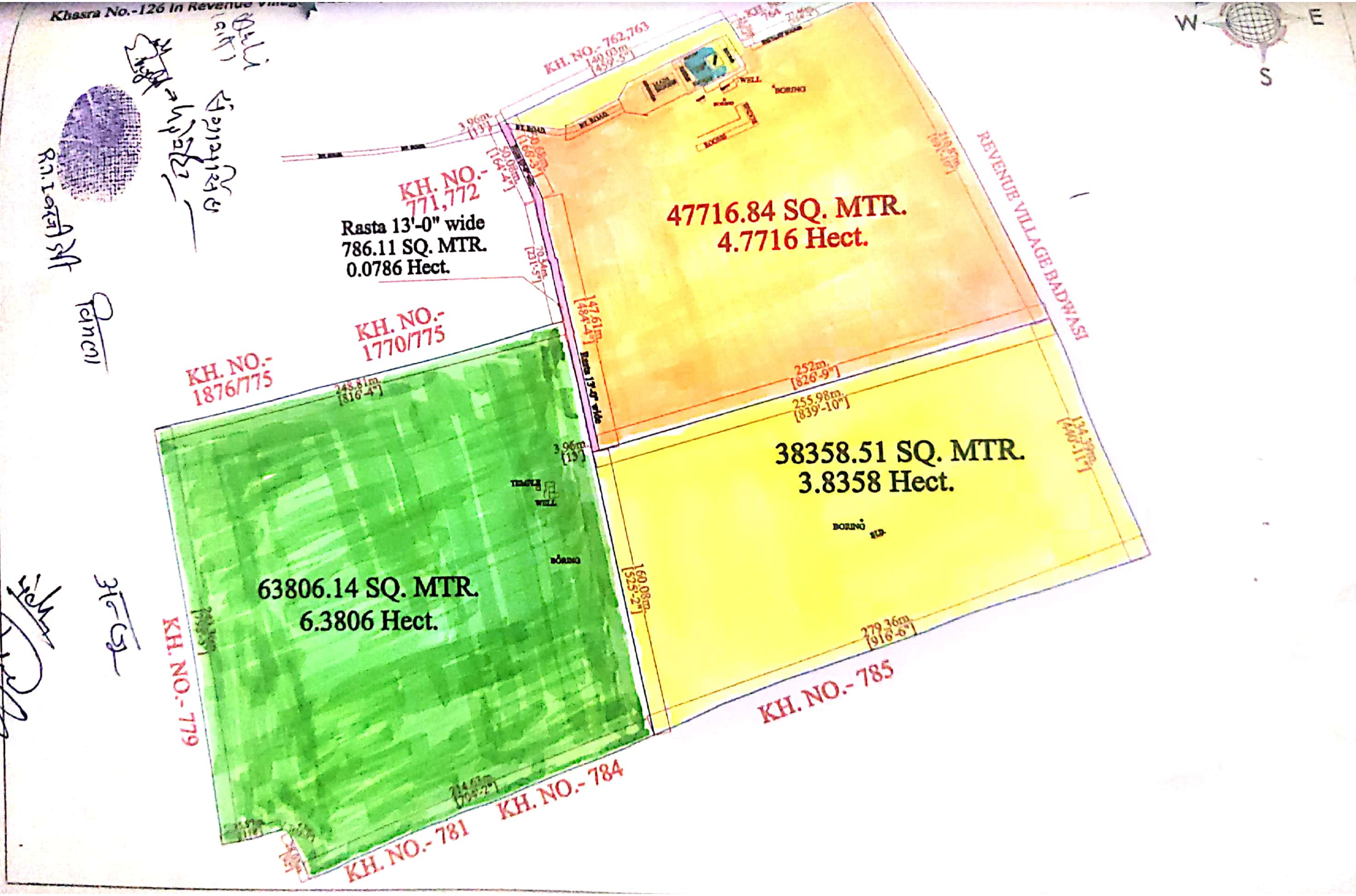

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

सएम न. 2021 / 408

दमा नम्बर 133 / 2021

दायर दिनांक–03.09.2021

ाम सिह पुत्र कल्याण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ ला झुझुंनू हाल आबाद नीमजोड तन नवलडी तहसील नवलगढ़

.... वादी

1. जितेन्द्रसिह पुत्र कल्याणसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम परसरामपुरा तह. नवलगढ जिला झुझुंनू हाल आबाद जगदम्बा कालोनी शरद अस्पताल के पास ,पिपराली चौराहा, सीकर तहसील व जिला सीकर
2. विरेन्द्रसिह पुत्र कल्याणसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू हाल आबाद जगदम्बा कालोनी शरद अस्पताल के पास ,पिपराली चोराहा ,सीकर तहसील व जिला सीकर
3. महेन्द्रसिह पुत्र कल्याणसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंन हाल आबाद प्लाट नं. 3 अल्पना कालोनी कल्याण मार्ग खातीपुरा रोड ,झोटवाडा जयपुर
4. प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा घूमचक्कर नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू
6. बरजी देवी पत्नी मूलचन्द
7. बिमला देवी पत्नी सुरेन्द्र
8. अंजू देवी पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी कालीरावणा की ढाणी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

.... प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधज्ञा

तिनिधत्वः–

वकील वादी– श्री विप्लव पण्डित,
वकील प्रतिवादी 1 लगा. 2– श्री दिपेन्द्र सिह
वकील प्रतिवादी सं. 3– श्री विजेन्द्र सिह जाखड
वकील प्रतिवादी सं. 4– एक पक्षीय
प्रतिवादी सं. 5 – पैरो. राज.
वकील प्रतिवादी सं. 6 लगा. 8 – श्री राजेश कुमार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned with CamScanner

—:प्राथमिक निर्णयः—

निर्णय दिनांक 08.06.2023

वाद वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम नवलडी की सरहद मे नई खाता सं. 593 भूमि ख.नं. 765 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 766 रकबा 8.41 है0, ख.नं. 767 रकबा 0.02 ख.नं. 769 रकबा 0.22 है, ख.नं. 770 रकबा 0.18 है0, ख.नं. 783 रकबा 5.52 है0 कुल ता 6 कुल रकबा 14.37 है0, राजस्व ग्राम बडवासी पटवार हल्का बडवासी की सरहद में खाता सं. 530 की भूमि ख.नं. 126 रकबा 0.34 है0 राजस्व ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी की सरहद मे नई खाता सं. 594 की भूमि खसरा नं. 768 रकबा 0.14 है0 का वादी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 के मध्य बंटवारे के अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे व विभाजित अंश का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

विवादित भूमि ख. नं. 767 मे स्थित प्रेम सागर कुआ व उसमे लगे विधुत संबंध का वादी को अधिकारी घोषित किया जावे।

विवादित भूमि के संबध मे प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी नं. 1 लगा. 3 वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे कोई बाधा उत्पन्न नही करे , मकानात जो कृषि भूमि का पार्ट है, प्रेमसागर कुआ व उसमे लगे विधुत संबंध के उपयोग उपभोग मे भी दखलन्दाजी पैदा नही करे, शांति से कुआ व उसमे लगे विघुत संबध का उपयोग व उपभोग करने देवे, काश्त करने देवे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण कि जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 कि और से जरिये वकील इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया।वकील प्रतिवादी सं. 4 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 3, 6 लगायत 8 जरिये वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 5 कि और से पैरे. राज. उपस्थित।

उभय पक्ष कि और से एक राजीनाम प्रा0 पत्र पेश किया गया जो दिनांक 8/6/2023 को तस्दिक किया गया। वकुलान फरीकेन द्वारा मुताबिक राजीनामा तहसीलदार नवलगढ से पक्षकारान कि मौजूदगी मे विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

वाद वादी मे घोषणार्थ एंव विभाजन हेतु तहसीलदार नवलगढ से पक्षकारो कि मौजूदगी मे विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मंगवाये जाने मे सहमति होने से इस प्रकरण मे अब अन्य किसी प्रकार से कार्यवाही की जानी अपेक्षित नही रह जाती है।

लिहाजा वाद वादी मे मुताबिक राजीनामा एंव सहमति विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

"आदेश"

वाद वादी मुताबिक राजीनामा पक्षकारान,तहसीलदार नवलगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के स्तर/हद तक सहमति होने पर प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि ग्राम नवलडी की सरहद मे नई खाता सं. 593 की भूमि ख.नं. 765 रकबा 0.02

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

सरा नं. 766 रकबा 8.41 है0, ख.नं. 767 रकबा 0.02 है0,ख.नं. 769 रकबा 0.22 है, ख.
रकबा 0.18 है0, ख.नं. 783 रकबा 5.52 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 14.37 है0,
व ग्राम बडवासी पटवार हल्का बडवासी की सरहद में नई खाता सं. 530 की भूमि ख.नं.
रकबा 0.34 है0 राजस्व ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी की सरहद मे नई खाता सं.
की भूमि खसरा नं. 768 रकबा 0.14 है0 का रिकार्ड अनुसार पक्षकारान कि मौजूदगी मे
जन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि पूर्व से
ो पक्षकार/खातेदार का कोई हिस्सा बैंक रहन दर्ज है तो विभाजन प्रस्ताव तैयार करते
य उसका सम्पूर्ण हिस्सा बैक रहन दर्ज किया जावे। सुलभ संदर्भ हेतु पक्षकारान द्वारा
ांक 08/06/2023 को प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा इस निर्णय का भाग होगा।
तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि
रोक्त प्रश्नगत कृषि भूमि के बारे में इस न्यायालय के निर्णयानुसार, तथा माननीय राजस्व
डल के नियम 18 लगायत 21 को मध्यनजर रखते हुए पक्षकारान की मौजुदगी में
वेतयुक्त रास्तो को ध्यान में रखते हुए हिस्सेनुसार, पक्षकारान के कब्जे काश्त विभाजन
स्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे। **मौका कमीशनर
ोस राशि 500/– रूपये, अक्षरे– पॉच सौ रूपये 30 दिवस मे विभाजन प्रस्ताव पेश
ायालय करने की शर्त पर वादी द्वारा देय होगी। उक्त कमीशन राशि का भुगतान वादी
ारा किया जावेगा।** तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को
र द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

म न. 2021/408

नम्बर 133/2021

दायर दिनांक–03.09.2021

(संग्राम सिह बनाम जितेन्द्रसिह वगै0)

दावा – घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

ह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ ी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है दी जाती है।

द वादी मुताबिक राजीनामा पक्षकारान,तहसीलदार नवलगढ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के हद तक सहमति होने पर प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि ग्राम नवलडी रहद मे नई खाता सं. 593 की भूमि ख.नं. 765 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 766 रकबा 8.41 है0, ख.नं. रकबा 0.02 है0,ख.नं. 769 रकबा 0.22 है, ख.नं. 770 रकबा 0.18 है0, ख.नं. 783 रकबा 5.52 है0 कुल 6 कुल रकबा 14.37 है0, राजस्व ग्राम बडवासी पटवार हल्का बडवासी की सरहद में नई खाता सं. की भूमि ख.नं. 126 रकबा 0.34 है0 राजस्व ग्राम नवलडी पटवार हल्का नवलडी की सरहद मे नई सं. 594 की भूमि खसरा नं. 768 रकबा 0.14 है0 का रिकार्ड अनुसार पक्षकारान कि मौजूदगी मे जन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि पूर्व से किसी र/खातेदार का कोई हिस्सा बैंक रहन दर्ज है तो विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय उसका सम्पूर्ण बैक रहन दर्ज किया जावे। सुलभ संदर्भ हेतु पक्षकारान द्वारा दिनांक 08/06/2023 को प्रस्तुत नामा मय नजरी नक्शा इस निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रश्नगत भूमि के बारे में इस न्यायालय के निर्णयानुसार, तथा माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 मध्यनजर रखते हुए पक्षकारान की मौजुदगी में युक्तियुक्त रास्तो को ध्यान में रखते हुए हिस्सेनुसार, रान के कब्जे काश्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित **मौका कमीशनर फीस राशि 500/– रूपये, अक्षरे– पॉच सौ रूपये 30 दिवस मे विभाजन प्रस्ताव पेश ालय करने की शर्त पर वादी द्वारा देय होगी। उक्त कमीशन राशि का भुगतान वादी द्वारा किया गा।**

जन..........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.......... दी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 08 माह 06 सन 2023 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

ई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
म्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
ालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
म्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
नताना वकील	–	महनताना वकील	–
र्ा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
स कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
त इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
फरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned with CamScanner